अध्याय-VI: राज्य आबकारी

6.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व) प्रशासनिक प्रमुख है तथा विभाग प्रमुख आबकारी आयुक्त है। विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। सम्बन्धित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियन्त्रणाधीन, जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क व अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य करते हैं।

6.2 विभाग द्वारा सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के अधीन एक आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह है। इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ, समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की अनुपालना की सुनिश्चितता करने के लिये, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की मापक जांच करनी होती है।

विगत पांच वर्षों की आन्तरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्नानुसार थी:

वर्ष	बकाया इकाइयाँ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाइयाँ	कुल इकाइयां	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाइयों का प्रतिशत
2010-11	70	40	110	83	27	25
2011-12	27	40	67	60	7	10
2012-13	7	41	48	41	7	15
2013-14	7	41	48	42	6	13
2014-15	6	41	47	47	0	-

वर्ष 2014-15 में लेखापरीक्षा की सभी बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा की जा चुकी है।

यह भी देखा गया कि वर्ष 2014-15 के अन्त तक 627 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें 133 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक बकाया थे। आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्षवार स्थिति निम्न प्रकार है:

वर्ष	2009-10 तक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग
अनुच्छेद	133	51	70	111	262	*	**627**

* सूचना प्रतीक्षित है।

लम्बे समय से अनुच्छेदों का बकाया रहना आन्तरिक लेखापरीक्षा के उद्देश्य को विफल करता है। सरकार को आन्तरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ करने तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने एवं राजस्व की छीजत को रोकने के लिये बकाया अनुच्छेदों पर युक्तियुक्त कार्यवाही करने पर विचार करना चाहिये।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य आबकारी विभाग की 21 इकाइयों के अभिलेखों की मापक जांच में आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क, प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली/कम वसूली, मदिरा की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताओं से सम्बन्धित ₹ 62.29 करोड़ के 3,870 प्रकरण ध्यान में आये जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	'राज्य आबकारी विभाग की बकाया पर' अनुच्छेद	1	38.69
2.	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	403	17.79
3.	मदिरा की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	678	0.89
4.	प्रतिभूति जमा पर ब्याज की अवसूली	610	0.17
5.	अन्य अनियमिततायें	2,178	4.75
	योग	**3,870**	**62.29**

विभाग ने 3,844 प्रकरणों में ₹ 10.62 करोड़ की अनियमिततायें स्वीकार की जिसमें से राशि ₹ 1.64 करोड़ राशि के 1,797 प्रकरण वर्ष 2014-15 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे। विभाग द्वारा वर्ष 2014-15 दौरान 2,700 प्रकरणों में ₹ 2.71 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिसमें से ₹ 0.51 करोड़ के 668 प्रकरण वर्ष 2014-15 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे।

एक अनुच्छेद 'राज्य आबकारी विभाग की बकाया' ₹ 38.69 करोड़ सन्निहित राशि का तथा ₹ 9.59 करोड़ सन्निहित राशि की कुछ निदर्शी टिप्पणियों पर अनुवर्ती अनुच्छेदों 6.4 से 6.8 में चर्चा की गयी है।

6.4 राज्य आबकारी विभाग की बकाया

6.4.1 परिचय

राज्य आबकारी राजस्व में शुल्क, कर, जुर्माना फीस या कम्पोजिट फीस और मदिरा, स्प्रिट, भांग, चिरे हुए डोडा पोस्त तथा ऐसी समस्त सामग्री पर आरोपणीय एकाकी विशेषाधिकार राशि जिसके आरोपण हेतु सरकार को शक्तियां प्राप्त है, सम्मिलित है। विभागीय मांग के बावजूद उक्त राशियां जमा नहीं कराये जाने पर विभाग की बकाया सृजित होती है। 31 मार्च 2015 को, वर्ष 1967-68 से 2014-15 तक की अवधि से सम्बन्धित 201 प्रकरणों में राशि ₹ 198.73 करोड़ बकाया थी।

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 40 तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार समस्त आबकारी राजस्व, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार को आबकारी राजस्व मद में देय समस्त राशियां शामिल है, के बकाया के भुगतान हेतु प्राथमिक रूप से उत्तरदायी व्यक्ति अथवा उसके जमानती से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जा सकती है। जिला आबकारी अधिकारी उपरोक्त धाराओं में वर्णित उपबन्धों के अन्तर्गत देय राशि की वसूली हेतु अधिकृत है।

आबकारी विभाग को सम्मिलित करते हुए 'भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बकाया की वसूली' पर विभिन्न विभागों की निष्पादन लेखापरीक्षा को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2002-03 में सम्मिलित किया गया था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति में विचार-विमर्श किया गया तथा सिफारिशें प्राप्त हो चुकी है।

6.4.2 संगठनात्मक ढांचा

आबकारी आयुक्त, राज्य आबकारी विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं। इनके अधीन संभाग स्तर पर सात अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, (जोन-जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा तथा भरतपुर) तथा 33 जिलों में 36 जिला आबकारी अधिकारी हैं। इसके अतिरिक्त दो जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) जयपुर व जोधपुर उच्च न्यायालयों में बकाया प्रकरणों की वसूली पर निगरानी करते हैं।

6.4.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं क्षेत्र

यह लेखापरीक्षा, बकाया की वसूली हेतु उचित एवं त्वरित कार्यवाही तथा जन लेखा समिति की सिफारिशों पर की गई कार्यवाही को देखने हेतु की गयी है।

चयनित आठ जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों[1] में 53 प्रकरणों का जांच हेतु चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त दो जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन)

[1] अजमेर, बून्दी, चूरू, जालोर, जोधपुर, कोटा, पाली और सिरोही।

तथा आबकारी आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों की जांच की गई। उक्त प्रकरणों में राशि ₹ 90.63 करोड़ की बकाया निहित थी।

6.4.4 बकाया की स्थिति

विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूचनानुसार 31 मार्च 2015 को राशि ₹ 198.73 करोड़ की बकाया थी। बकाया के अधिकांश भाग का सृजन वर्ष 1999-2001 में हुआ जो कि तत्समय लागू आबकारी नीति में कमियों के कारण हुआ। अवधि 2010-11 से 2014-15 के बकाया की वर्षवार स्थिति निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान वृद्धि	योग	वर्ष के दौरान वसूली/ समायोजन	वसूली का प्रतिशत (कॉलम 5 का 4 से)	वर्ष के अन्त में राजस्व बकाया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010-11	218.34	0.44	218.78	1.38	0.63	217.40
2011-12	217.40	31.70	249.10	17.60	7.07	231.50
2012-13	231.50	4.58	236.08	16.36	6.93	219.72
2013-14	219.72	4.53	224.25	4.42	1.97	219.83
2014-15	219.83	3.90	223.73	25.00	11.17	198.73

कुल वसूली योग्य बकाया में से वसूली का प्रतिशत मात्र 0.63 से 11.17 प्रतिशत रहा।

6.4.4.1 अवधिवार विश्लेषणः बकाया का अवधिवार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

बकाया की स्थिति	प्रकरणों की संख्या	राशि	बकाया का प्रतिशत
5 वर्ष से कम पुराने	27	4.07	2.05
5 से 10 वर्ष तक पुराने	72	18.74	9.43
10 से 15 वर्ष तक पुराने	37	136.28	68.58
15 से 20 वर्ष तक पुराने	32	21.28	10.70
20 वर्ष से अधिक पुराने	33	18.36	9.24
योग	**201**	**198.73**	**100.00**

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि कुल बकाया में से ₹ 194.66 करोड़ अर्थात् 97.95 प्रतिशत पांच वर्ष से अधिक पुराने थे। उक्त बकाया के सृजित होने का

मुख्य कारण फर्जी सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र[2] स्वीकार करना तथा दोषी बोलीदाताओं से जोखिम एवं लागत की वसूली में विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं/समय पर नहीं करना था। विभाग द्वारा वसूली हेतु किसी प्रकार के मापदण्ड/लक्ष्य निर्धारण के अभाव में समय व्यतीत होने के साथ ही बकाया राशि वसूली करने में कठिनाई की सम्भावना है।

6.4.4.2 बकाया की श्रेणीवार स्थिति इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31 मार्च 2014		31 मार्च 2015	
	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि
भू-राजस्व के अन्तर्गत वसूली	109	98.65	104	97.75
अपलेखन के अन्तर्गत	66	35.52	64	35.32
विभिन्न न्यायालयों में स्थगन के अन्तर्गत	40	85.66	33	65.66
योग	**215**	**219.83**	**201**	**198.73**

31 मार्च 2015 को राशि ₹ 97.75 करोड़ या बकाया का 49 प्रतिशत 'भू-राजस्व अधिनियम' के अन्तर्गत वसूली में था बावजूद इसके कि विभाग को दोषी अनुज्ञाधारियों का पता ठिकाना मिल गया था/सम्पत्तियों को चिन्हित किया जा चुका था। चयनित इकाइयों में राशि ₹ 44.20 करोड़ के 27 प्रकरणों की जांच में पाया गया कि सम्पत्तियों की नीलामी हेतु बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद ऐसी सम्पत्तियों की नीलामी/निस्तारण समय पर करने में विभाग विफल रहा। कतिपय प्रकरण आगामी अनुच्छेदों में वर्णित है।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आबकारी आयुक्त द्वारा अवधि 1967-68 से 2006-07 की सम्बन्धित राशि ₹ 35.32 करोड़ के 64 प्रकरण अपलेखन के लिये चिन्हित किये गये थे। उक्त 64 प्रकरणों में से उपलब्ध करवायी गयी 55 प्रकरणों की पत्रावलियों की जांच में देखा गया कि या तो चूककर्ताओं के पास कोई सम्पति नहीं थी या उनके पता ठिकाना के बारे में जानकारी नही थी। अपलेखन के प्रकरणों पर 21 से 315 माह की अवधि व्यतीत होने के बावजूद 31 मार्च 2015 तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। विभाग द्वारा 24 प्रकरण अपलेखन हेतु वित्त विभाग को प्रेषित किये गये जिनमें से 19 प्रकरण विभाग को, वसूली हेतु पुनः प्रयास किये जाने की टिप्पणी सहित, सरकार द्वारा लौटाये गये। शेष पांच प्रकरण निर्णय हेतु सरकार के पास लम्बित थे (जुलाई 2015)।

[2] अनुज्ञाधारियों/जमानतियों की सम्पत्तियों का मूल्य दर्शाता राजस्व प्राधिकारियों द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र।

विभाग ने अवगत कराया (जुलाई 2015) कि चूककर्ता अनुज्ञाधारियों/जमानतियों से वसूली के 33 प्रकरण न्यायालयों में लम्बित है। चयनित इकाइयों के न्यायालयों में लम्बित ऐसे ही 13 प्रकरणों[3] की जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारियों/जमानतियों द्वारा उनकी कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी पर स्थगन प्राप्त कर लिया था। विभाग द्वारा 1 से 17 वर्ष का समय व्यतीत होने के बावजूद स्थगन आदेशों को निरस्त करवाने हेतु प्रयास नहीं किये गये थे। कुछ प्रकरणों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है।

6.4.5 जन लेखा समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में राज्य आबकारी विभाग के बकाया का उल्लेख किया गया था। जन लेखा समिति के सिफारिश प्रतिवेदनों (संख्या 98, 168 आदि) में बकाया की त्वरित वसूली हेतु सिफारिश की गई थी। बकाया हेतु उत्तरदायी कर्मचारियों के विरूद्ध उचित कार्यवाही किये जाने की सिफारिश भी की गई थी।

- जन लेखा समिति की दिनांक 26 अगस्त 2010 को की गयी सिफारिशों की अनुपालना में आबकारी आयुक्त द्वारा ₹ 183.65 करोड़ की राशि के 46 प्रकरणों को चिन्हित किया गया तथा अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों[4] को शीघ्र वसूली करने हेतु निर्देशित किया गया (नवम्बर 2010)। यह पाया गया कि 31 मार्च 2015 तक 15 प्रकरणों में ₹ 8.98 करोड़ की वसूली की गयी। शेष 31 प्रकरणों में कोई वसूली नहीं हुई।

- बकाया राशि ₹ 82.82 करोड़ के 20 प्रकरणों में आबकारी एवं राजस्व विभाग के उन 53 कार्मिकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिन्होने या तो सम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन सत्यापित किया या आवश्यक धरोहर जमा नहीं ली या अनुज्ञापत्रों की शर्तों की पूर्ति नहीं होने पर भी अनुज्ञापत्रों को निरस्त करने में विफल रहे। 16 व्यक्तियों के विरूद्ध मामले बन्द कर दिये गये। प्रकरण समाप्त करते हुये यह कहा गया कि 14 कार्मिकों के विरूद्ध दोष स्थापित नहीं किये जा सके तथा दो कार्मिक सेवा निवृत्त हो गये थे। चार कर्मचारियों को दण्डित किया गया। शेष 33 कर्मचारियों के विरूद्ध प्रकरण विभाग या राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित थे।

6.4.6 दोषियों की चिन्हित सम्पत्तियों की कुर्की का अभाव

यदि दोषी व्यक्ति देय राशि जमा कराने में विफल रहता है तो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 228 से 257 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी उसकी चल एवं अचल सम्पत्ति को कुर्क एवं विक्रय

---

[3] उच्च न्यायालय में नौ, एसडीएम कोर्ट में एक, जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच में दो, राजस्थान कर बोर्ड में एक।
[4] जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर।

कर सकता है। यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में चूककर्ताओं की चिन्हित की गयी सम्पत्तियों को कुर्क नही किया गया था:

6.4.6.1 मदिरा समूह कोटा वर्ष 1999-2001 के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) के विरूद्ध ₹ 28.82 करोड़ की मांग बकाया थी। जिला आबकारी अधिकारी कोटा ने अनुज्ञाधारी के सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र में दर्शायी गयी 13 सम्पत्तियों को वर्ष 2000-01 के दौरान कुर्क किया। इसके विरूद्ध सम्पत्ति के सह-स्वामी (मैसर्स के.के. इण्डस्ट्रीज बोटलिंग प्लांट, कोटा) ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने ₹ 50 लाख की बैंक गारन्टी पर सम्पत्ति को कुर्की से मुक्ति के निर्देश दिये (20 मार्च 2002)। सह-स्वामी ने ₹ 50 लाख की गारंटी विभाग में प्रस्तुत की (27 मार्च 2002) और तद्नुसार सम्पत्ति को कुर्की से मुक्त कर दिया गया (31 मार्च 2002)। यह देखा गया कि बैंक गारन्टी 27 मार्च 2006 को अवधिपार हो गई। परन्तु विभाग ने इसके नवीनीकरण अथवा नई बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नही किये। राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला आबकारी अधिकारी को आदेश प्राप्ति की दिनांक से एक सप्ताह में या आदेश की दिनांक से दो सप्ताह के अन्दर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय करने के निर्देश दिये (9 दिसम्बर 2011) और तब तक याचिकाकर्ता से वसूली स्थगित की गयी।

याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 13 जनवरी 2012 को प्रस्तुत किया। जिला आबकारी अधिकारी, कोटा ने याचिकाकर्ता के प्रकरण को उसकी जिम्मेदारी तय करते हुये निर्णित किया (12 जून 2014) परन्तु बैंक गारन्टी के अभाव में राशि वसूल नही की जा सकी। सम्पत्ति की पुनः कुर्की व नीलामी की कोई कार्यवाही नही की गयी।

6.4.6.2 मदिरा समूह अन्धेरी देवरी, अजमेर वर्ष 2007-09 और 2009-11 के दो चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री शम्भूलाल माली और श्री मिश्रीलाल) के विरूद्ध राशि ₹ 3.15 लाख और ₹ 5.02 लाख बकाया थे। जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर ने 2 जुलाई व 28 नवम्बर 2014 को सम्पत्तियों के कुर्की वारन्ट जारी किये। यह देखा गया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वृत्त निरीक्षकों को सम्पत्तियों की कुर्की हेतु स्मरण-पत्र जारी किये गये परन्तु सम्बन्धित वृत्त निरीक्षकों द्वारा वारन्ट के क्रियान्वन तथा सम्पत्तियों की कुर्की हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी (अगस्त 2015)।

6.4.7 कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी में देरी

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 40 के अनुसार राज्य सरकार को देय आबकारी राजस्व जो किसी व्यक्ति पर किसी अनुबन्ध के कारण बकाया हो को, वसूली के अन्य किसी माध्यम को सुरक्षित रखते हुए, प्रथमतः भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति अथवा उसके जमानती से भू-राजस्व की बकाया के रूप में या तत्समय प्रचलित अन्य किसी कानून के अन्तर्गत, लोक मांग के रूप में वसूल की जायेगी।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 239 के अनुसार कुर्क सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय की कार्यवाही 30 दिवस या विक्रय की उदघोषणा में वर्णित अवधि में की जायेगी। सम्पत्ति के विक्रय के लिए बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जावेगा।

53 चूककर्ताओं के प्रकरणों के अभिलेखों की जांच में देखा गया कि ₹ 84.22 करोड़ के 30 प्रकरणों में दोषियों के पास सम्पत्तियां थी। इनमें से नीलामी तथा अन्य माध्यमों से ₹ 12.60 करोड़ वसूल किये गये। इसमें 23 प्रकरणों में दोषियों की सम्पत्तियों की नीलामी से ₹ 8.90 करोड़ सम्मिलित थे। शेष प्रकरणों में 4 से 14 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद सम्पत्तियां नीलाम नहीं की जा सकी। कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:

6.4.7.1 डोडा-पोस्त समूह-हनुमानगढ़ वर्ष 1999-01 के अनुज्ञाधारियों में से एक (श्री हजारीराम पुत्र श्री सहीराम) ने कृषि भूमि तथा जयपुर में एक मकान के आधार पर राशि ₹ 42.30 लाख का सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। अनुज्ञाधारी ने एकाकी विशेषाधिकार राशि का भुगतान नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अनुज्ञा पत्र अवधि के अन्त में ₹ 12.18 करोड़ की बकाया एकत्रित हो गयी। अनुज्ञाधारी द्वारा दिये गये वचनपत्र के अनुसार बकाया के भुगतान से पूर्व सम्पत्ति को अन्य हस्तान्तरण अथवा भारग्रस्त करने के लिये वह स्वतंत्र नहीं था। इसके उपरान्त भी अनुज्ञाधारी ने सम्पत्ति बेच दी और क्रेता ने उप आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 16 जनवरी 2006 द्वारा भूमि का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90(बी) के अन्तर्गत रूपान्तरण करवा लिया। विभाग ने विलम्ब से सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील दायर (2008) की जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया (दिसम्बर 2009) कि विभाग सम्पत्ति के विक्रय के बारे में प्रारम्भ से सजग था क्योंकि भू-परिवर्तन के आदेश, दो समाचार-पत्रों में सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने के बाद ही पारित किये गये थे। सम्भागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय के विरूद्ध विभाग ने राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील दायर (2011) की जिसका निर्णय प्रतीक्षित था।

6.4.7.2 आबकारी आयुक्त ने निर्देश जारी (अक्टूबर 1988) किये कि कुर्की के पश्चात् सम्पत्ति को मूल स्वामी के कब्जे में नहीं रखा जा सकता। सम्पत्ति से होने वाली आय को राजकोष में जमा करवाना होगा।

वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह कोटा के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) की ₹ 1.60 करोड़ के सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र वाली दो सम्पत्तियां[5] जिला आबकारी अधिकारी कोटा द्वारा अवधि 2000-01 के दौरान कुर्क की गई। यह देखा गया कि सम्पत्तियों को आबकारी विभाग के स्वामित्व में रखने के विभागीय निर्देशों के उल्लंघन में दोषियों की सम्पत्तियां 14 वर्षो का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी चूककर्ताओं के कब्जे में थी। अभिलेखों की जांच में यह भी प्रकट हुआ कि

[5] (1) मयूर होटल नयापुरा बस स्टैण्ड कोटा के पास (2) वाणिज्यिक प्लॉट नम्बर 8, 9 व 10 मोटर मार्केट कोटा।

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी ने कुर्क सम्पत्तियों के विक्रय हेतु 20 से अधिक नीलामी नोटिस जारी किये। यद्यपि सम्पत्तियों की नीलामी के प्रयास सफल नहीं रहे।

6.4.7.3 वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह बून्दी के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) के दो जमानतियों (श्री भगवान सिंह व श्रीमती रजनी डोगरा) की सम्पत्तियों को जिला आबकारी अधिकारी बून्दी द्वारा कुर्क किया गया। जमानतियों ने अक्टूबर 2000 में क्रमशः ₹ 25 लाख तथा ₹ 60 लाख की जमानत दी थी। अभिलेखों की जांच में सामने आया कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अवधि 2001 से 2013 के दौरान सम्पत्तियों की नीलामी हेतु लगभग 100 नोटिस जारी करने के बावजूद नीलामी में विफल रहे। जमानती राजस्थान उच्च न्यायालय चले गये (क्रमशः वर्ष 2009 व 2013 में) जहाँ न्यायालय ने निर्देशित किया (23 नवम्बर 2013) कि जमानतियों की सम्पत्तियों की नीलामी तब तक नहीं की जाए, जब तक कि जिला आबकारी अधिकारी कोटा से सम्बन्धित समान प्रकृति के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार, विभाग द्वारा दोषी अनुज्ञाधारी के दायित्व का अन्तिम निर्धारण नही कर दिया जाता। यह देखा गया कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में अनुज्ञाधारी के दायित्व का निर्धारण पूर्व में ही (27 अक्टूबर 2010) कर चुकी थी। सरकार ने दोषी के विरूद्ध ₹ 28.83 करोड़ का दायित्व तय कर दिया था। जिला आबकारी अधिकारी बून्दी ने जिला आबकारी अधिकारी कोटा से दोषी अनुज्ञाधारी के दायित्व की अन्तिम स्थिति का पता लगाने के प्रयास नहीं किये तथा सम्पत्तियों के निपटान पर उच्च न्यायालय के आदेशों को स्थगन आदेश मानते हुए नीलामी को बकाया रखा।

6.4.7.4 जिला आबकारी अधिकारी बून्दी के एक अन्य प्रकरण में जमानती (श्री बलबीर सिंह), जिसने ग्राम-डाबी कोटा में कृषि भूमि के दो टुकड़ों तथा कोटा में एक आवासीय मकान के रूप में ₹ 40 लाख की जमानत दी थी, को अक्टूबर 2000 में कुर्क किया गया। अभिलेखों की जांच में देखा गया कि दो सम्पत्तियों को नीलाम (2003 व 2007) किया गया परन्तु शेष कृषि भूमि के विक्रय हेतु मार्च 2009 के पश्चात् नीलामी नोटिस जारी नहीं किये गये।

6.4.8 सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में दर्शाये गये मूल्य से कम पर नीलामी

वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूहों के लिये दी गई निविदा सूचना की शर्त संख्या 14.1 के अनुसार अनुज्ञाधारी को दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व एकीकृत विशेषाधिकार राशि के 30 प्रतिशत के बराबर सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के प्रमाण-पत्र एवं प्रतिभूति बन्ध पत्र/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने थे।

आबकारी आयुक्त द्वारा जारी (27 मई 1997) परिपत्र के अनुसार अनुज्ञापत्र जारी करते समय अनुज्ञाधारियों एवं उनके जमानतियों की सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों मे दर्शायी गयी सम्पत्तियों के बारे में सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन

किया जाना था ताकि ऐसी सम्पत्तियों की नीलामी में प्राप्त विक्रय राशि सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों मे सम्पत्ति के दर्शाये गये मूल्य के समान हो।

34 सम्पत्तियों में से 11 सम्पत्तियों की नीलामी की जांच में प्रकट हुआ कि जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पत्तियों का मूल्य सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त सम्पत्तियों की नीलामी अखबार एवं इलैक्ट्रोनिक माध्यम से व्यापक प्रकाशन के बिना की गयी एवं आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में सम्पत्तियों के दर्शाये मूल्य (₹ 197.72 लाख) से कम मूल्य (₹ 72.59 लाख) पर उनकी नीलामी की गयी। 11 सम्पत्तियों में से 8 सम्पत्तियां उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर द्वारा अधिसूचित जिला स्तरीय समिति की प्रचलित दरों (₹ 83.15 लाख) से भी कम मूल्य (₹ 57.46 लाख) पर नीलाम हुई। पांच जिला आबकारी अधिकारियों[6] के अभिलेखों की समीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि विभाग द्वारा 34 सम्पत्तियों की नीलामी में वसूल की गई राशि ₹ 1.90 करोड़ सोलवेन्सी प्रमाण-पत्रों में सम्पत्तियों के घोषित किये गये मूल्य ₹ 4.19 करोड़ से बहुत कम थी।

6.4.9 चूककर्ता अनुज्ञाधारियों की सम्पत्तियों को पहचानने में विफलता

53 प्रकरणों के अभिलेखों की जांच से यह प्रकट हुआ कि बकाया राशि ₹ 8.95 करोड़ राशि के 12 प्रकरणों में विभाग द्वारा चूककर्ता बोलीदाताओं की सम्पत्तियों की पहचान नहीं की जा सकी। विभाग द्वारा कुछ प्रकरणों में सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों यथा पटवारी, तहसीलदार, जहां पर चूककर्ता बोलीदाताओं की सम्पत्ति थी या वे अन्तिम बार रहे थे, से चूककर्ता अनुज्ञाधारियों के पते एवं उनकी सम्पत्तियों की जानकारी के लिये प्रयास किये गये। यद्यपि राजस्व अधिकारियों ने सूचित किया कि चूककर्ता बोलीदाताओं की सम्पत्ति की उनके क्षेत्रों मे पहचान नहीं की जा सकी। इस प्रकार इन चूककर्ताओं से कोई वसूली नहीं हो सकी एवं विभाग ने चार प्रकरणों को अपलेखन हेतु सरकार को प्रेषित किया। कुछ प्रकरणों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है।

6.4.9.1 जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर में वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह फलौदी एवं लूणी (ग्रामीण) के चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री दिलीप शर्मा) के विरूद्ध ₹ 1.61 करोड़ की मांग बकाया थी। अभिलेखों की जांच में यह प्रकट हुआ कि विभाग के पास जयपुर स्थित सम्पत्ति का ₹ 6.00 लाख का सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र था। सम्पत्ति का सीमांकन नहीं होने से जिला आबकारी अधिकारी जयपुर द्वारा सम्पत्ति नीलाम नहीं की जा सकी एवं अनुज्ञाधारी द्वारा सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र के विरूद्ध वर्ष 2005 में ₹ 6.00 लाख जमा करवाये गये जिसे जिला आबकारी अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। शेष बकाया ₹ 1.55 करोड़ की वसूली हेतु, यह ज्ञात होने के बावजूद कि वह धौलपुर का निवासी था (अप्रेल 2000),

[6] बून्दी, चूरू, जोधपुर, कोटा और पाली।

जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर के साथ समन्वय स्थापित कर अनुज्ञाधारी की अन्य सम्पत्तियों की पहचान हेतु कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गयी।

6.4.9.2 जिला आबकारी अधिकारी कोटा में यह देखा गया कि वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह कोटा के एक चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री परसराम) की कुर्क 13 सम्पत्तियों में से नौ सम्पत्तियों की ₹ 5.84 करोड़ में नीलामी के पश्चात् भी ₹ 20.77 करोड़ की मांग बकाया थी। सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र मे दर्शाये अनुसार ₹ 7.35 करोड़ की चार सम्पत्तियां कुर्की/नीलामी हेतु शेष थी (जुलाई 2015)। अभिलेखों की जांच में आगे यह पता चला कि जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जिले मे स्थित तहसील, नगर विकास न्यास (यू.आई.टी), नगर पालिका, नगर निगम, आयकर विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, इत्यादि कार्यालयों से जानकारी प्राप्त कर दोषी अनुज्ञाधारी की अन्य चल एवं अचल सम्पत्तियों को ढूंढने के कोई प्रयास नहीं किये गये।

6.4.9.3 जिला आबकारी अधिकारी कोटा के एक अन्य प्रकरण में वर्ष 1996-97 के मदिरा समूह सांगोद, कोटा के एक चूककर्ता अनुज्ञाधारी (श्री कैलाश चन्द काबरा) के विरूद्ध ₹ 39.68 लाख की मांग बकाया थी। यह देखा गया कि अनुज्ञापत्र जारी करते समय विभाग द्वारा कोई सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र नहीं लिया गया। अभिलेखों की जांच में प्रकट हुआ कि राष्ट्रीय सिक्ख संगत राजस्थान (आर.एस.एस.आर.) के पत्र (दिसम्बर 2006) के द्वारा जिला आबकारी अधिकारी को चूककर्ता अनुज्ञाधारी की सात विशिष्ट सम्पत्तियों[7] व निवेश की सूचना दी गई। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आर.एस.एस.आर. के पत्र मे इंगित सम्पत्तियों के वर्णन को दर्शाये बिना तहसीलदार लाड़पुरा, नगर सुधार न्यास, नगर निगम एवं राजस्थान आवासन मण्डल कोटा से अनुज्ञाधारी की सम्पत्तियों के बारे में पूछताछ की गयी (जुलाई 2007 और जून 2009 के मध्य)। इन संस्थानों द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके अधिकार क्षेत्र में अनुज्ञाधारी की कोई सम्पत्ति नहीं है।

6.4.9.4 जिला आबकारी अधिकारी बून्दी में वर्ष 1996-97 के मदिरा समूह इन्द्रगढ़-लाखेरी-केशोरायपाटन बून्दी के चूककर्ता अनुज्ञाधारियों (श्री बाबू खां एण्ड पार्टी) के विरूद्ध ₹ 1.60 करोड़ की मांग बकाया थी। अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि आबकारी निरीक्षक कोटा द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार अनुज्ञाधारी एवं जमानती जो आपस में रिश्तेदार थे तथा जयपुर, चित्तौडगढ़, चुरू एवं नागौर जिलों में रह रहे थे। परन्तु विभाग द्वारा राजस्व प्राधिकारियों, नगरीय प्राधिकरणों, अन्य स्थानीय निकायों, इत्यादि से इन स्थानों पर रहने वाले जमानतियों अथवा दोषियों की सम्पत्तियों को खोजने का प्रयास नहीं किया गया।

6.4.9.5 सिरोही के वर्ष 2006-07 के डोडा पोस्त समूह के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि एक आवेदक (श्री रामपाल) ने एकाकी

[7] कोटा में स्थित मकान (40'×60'), मकान (20'×60'), मकान (20'×90'), मकान (20'×50'), फर्नीचर शोरूम, बीज गोदाम (15'×50') और प्लॉट (30'×60')।

विशेषाधिकार राशि ₹ 1.27 करोड़ के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन किया एवं ₹ 5.91 लाख का डिमांड-ड्राफ्ट बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) के रूप में जमा करवाया। आवेदक ने अनुज्ञापत्र का क्रियान्वन नहीं किया एवं पीछे हट गया। आबकारी नीति के अनुसार पीछे हटने वाले आवेदक को पुन: नीलामी में प्राप्त कम राशि के बराबर जोखिम एवं लागत राशि का भुगतान करना था। इस प्रकार अनुज्ञाधारी के विरूद्ध ₹ 42.11 लाख की मांग कायम की गयी (9 मई 2006)। आवेदक ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया (24 मई 2006) कि उसने अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन नहीं किया था। यह देखा गया कि विभाग द्वारा बयाना राशि के रूप में डिमाण्ड-ड्राफ्ट प्रस्तुत करने वाले छद्म व्यक्तियों के बारे में बैंकों से जानकारी प्राप्त करने के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये।

6.4.10 स्थगन आदेश का नहीं हटाया जाना

चयनित इकाइयों के 33 प्रकरणों में से 13 प्रकरणों की जांच से ज्ञात हुआ कि राशि ₹ 3.50 करोड़ 1 से 17 वर्षो से विभिन्न न्यायालयों में स्थगन के अन्तर्गत थी। तथापि कई वर्षो के बाद भी स्थगन आदेशों को हटाने हेतु ठोस प्रयास नहीं किये गये। विभाग द्वारा न्यायिक प्रकरणों में शपथ पत्रों के जवाब/अपील दायर करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी। कुछ प्रकरणों का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

6.4.10.1 जिला आबकारी अधिकारी चुरू के यहां वर्ष 1999-2001 के मदिरा समूह सरदारशहर के तीन भागीदारों एवं छ: जमानतियों द्वारा ₹ 83.50 लाख के सोलवेन्सी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये गये। अनुज्ञाधारियों द्वारा भुगतान न करने के कारण अनुज्ञा अवधि के अन्त में ₹ 1.31 करोड़ की बकाया संचित हुई। एक अनुज्ञाधारी (श्री भंवरलाल) एवं दो जमानतियों (श्री जुगल किशोर एवं श्री ओमप्रकाश) की सम्पत्तियों के मालिकाना हक का सत्यापन नही होने के कारण एवं इन सम्पत्तियों के सह-स्वामियों द्वारा नीलामी के विरूद्ध क्रमश: उपखण्ड मजिस्ट्रेट रतनगढ़, रामगढ़ सेठान एवं फतेहपुर न्यायालयों में चले जाने के कारण सम्पत्तियों की नीलामी नहीं हो सकी। सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेटों ने तीनों प्रकरणों में स्थगन जारी किया (2001)। यद्यपि 14 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है फिर भी स्थगन अभी तक प्रभावी (जुलाई 2015) था। इस प्रकार स्थगनादेश नहीं हटने के कारण ₹ 46.00 लाख की वसूली नही की जा सकी।

6.4.10.2 जिला आबकारी अधिकारी सिरोही में वर्ष 1995-97 के मदिरा समूह आबूरोड-पिण्डवारा के एक अनुज्ञाधारी (श्री अनिल कुमार) के विरूद्ध अनुज्ञा अवधि के अन्त में ₹ 23.41 लाख की बकाया थी। यह देखा गया कि श्री अनिल कुमार के विरूद्ध ₹ 23.41 लाख की मांग कायम की गयी जब वह मदिरा समूह सिरोही-रेवदर वर्ष 1997-99 का अनुज्ञाधारी था। नोटिस में यह वर्णित किया गया कि अनुज्ञाधारी के मांग की राशि जमा करने में विफल रहने पर वसूली को अवधि 1997-98 के लिए जमा धरोहर के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा।

अनुज्ञाधारी ने धरोहर की जब्ती द्वारा ₹ 23.41 लाख की वसूली के विरूद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से स्थगन प्राप्त कर लिया (26 मार्च 1999)। यद्यपि न्यायालय ने मात्र धरोहर के जब्त करने पर स्थगन जारी किया, विभाग ने स्थगन को हटवाने और बकाया की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की।

6.4.11 गलत मांग की कायमी

तीन चयनित इकाइयों के पांच प्रकरणों में यह देखा गया कि कम मांग कायम करने के परिणामस्वरूप नीचे दिए गये विवरणानुसार राशि ₹ 65.83 लाख का बकाया कम दर्शाया गया।

6.4.11.1 चुरू के वर्ष 2002-03 के डोडा पोस्त समूह के अभिलेखों की मापक जांच के दौरान यह देखा गया कि एक आवेदक (श्री जगन्नाथ) ने एकीकृत विशेषाधिकार राशि ₹ 2.52 करोड़ पर अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन किया। प्रतिभूति जमा एवं सोलवेंसी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण, पुन: नीलामी में कम प्राप्त राशि के बराबर जोखिम एवं लागत राशि पर, अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया (12 अप्रेल 2002)। मूल बोली राशि ₹ 2.52 करोड़ के विरूद्ध पश्चात्वर्ती बोलीदाता को ₹ 1.40 करोड़ में अनुज्ञापत्र जारी कर दिया गया। प्रभारित होने योग्य राशि ₹ 1.12 करोड़ की मांग के बजाय अनुज्ञाधारी के विरूद्ध मात्र ₹ 1.03 करोड़ की मांग कायम करने के कारण राशि ₹ 0.09 करोड़ की कम मांग कायम की गयी। कम मांग कायम करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।

6.4.11.2 राजस्थान आसवनी नियम, 1976 के अनुसार आसवन अनुज्ञापत्र के समाप्त, रद्द अथवा निलम्बित होने पर आसवक, प्रभावी नियमों के अनुसार, आसवनी में बची हुयी स्प्रिट पर शुल्क अदा कर उसे हटाने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विभाग द्वारा एक अनुज्ञाधारी (इन्टरलिंक बोटलिंग प्लांट, सिरोही) जिसका अनुज्ञापत्र 1 अप्रेल 2005 से नवीनीकृत नहीं किया गया था, का स्टॉक नष्ट किया गया (31 दिसम्बर 2011 एवं 7 जून 2013) एवं स्प्रिट तथा मदिरा के अन्तिम स्टॉक शेष पर आबकारी शुल्क ₹ 37.83 लाख जमा कराने का नोटिस जारी किया गया (15 अप्रेल 2013)। यह पाया गया कि बोटलिंग प्लांट में अप्रेल 2005 को उपलब्ध स्टॉक पर ₹ 77.96 लाख का शुल्क प्रभार्य था। परिणामस्वरूप ₹ 40.13 लाख की कम मांग कायमी हुई। इसी दौरान, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आगामी सूचीबद्ध होने की तिथि अर्थात 19 मार्च 2014 तक वसूली पर स्थगन (6 मार्च 2014) जारी किया गया। अभिलेखो में प्रकरण की आगामी प्रगति उपलब्ध नहीं थी।

6.4.11.3 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर में तीन कम्पोजिट दुकानों/समूहों[8] को नगरीय सीमा से पांच कि.मी. से बाहर दर्शाया गया एवं अनुज्ञाधारियों द्वारा तदनुसार वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान कम्पोजिट शुल्क की राशि जमा करवायी गयी।

[8] तबीजी (₹ 7.90 लाख) 2006-09 के लिये, ब्यावर खास (₹ 3.15 लाख) 2007-09 के लिये और पालरा (₹ 5.65 लाख) 2007-09 के लिये।

यद्यपि विभाग द्वारा अप्रेल 2010 एवं नवम्बर 2011 में की गई जांच में इन दुकानों को पांच कि.मी. के अन्दर पाया गया। आबकारी नीतियों के अनुसार इन अनुज्ञाधारियों से अधिक कम्पोजिट शुल्क वसूली योग्य था।

यह देखा गया कि यद्यपि विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से कम्पोजिट शुल्क की अन्तर राशि की वसूली की गयी परन्तु वर्ष 2006-07, 2007-08 एवं 2008-09 का कम्पोजिट शुल्क नहीं वसूला गया। इस प्रकार ₹ 16.70 लाख की कम मांग कायमी की गयी जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि कम प्रदर्शित हुई।

6.4.12 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

अनुज्ञापत्र जारी करने समय अनुज्ञाधारियों एवं उनके जमानतियों की चल एवं अचल सम्पत्तियों के मालिकाना हक, मूल्य एवं स्थिति के सत्यापन नहीं करने के परिणामस्वरूप बकाया की अवसूली/कम वसूली हुई। बाकीदारों की सम्पत्तियों की पहचान करने के लिए जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा तहसील, यू.आई.टी., नगर निगम, आयकर विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल इत्यादि कार्यालयों जिनके क्षेत्राधिकार में बाकीदार की सम्पत्तियां थी या वे जहां पर अन्तिम बार रह रहे थे, के माध्यम से पर्याप्त प्रयास नहीं किये गये। व्यापक प्रचार के अभाव में बाकीदारों की चिन्हित की गयी सम्पत्तियों के निस्तारण के प्रयासों से वांछित लाभ नहीं मिला। नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व कोई आरक्षित मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप कुर्क सम्पत्तियों की नीलामी द्वारा विक्रय से प्राप्त आय सोल्वेंसी प्रमाण-पत्र में घोषित की गयी सम्पत्तियों की कीमत के अनुरूप में नहीं थी। विभाग ने विभिन्न न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में स्थगन आदेश हटवाने के लिये सार्थक प्रयास नहीं किये।

विभाग को चाहिए कि वह तहसील, यू.आई.टी., नगर निगम, आयकर विभाग राजस्थान आवासन मण्डल इत्यादि, के कार्यालयों जहां पर चूककर्ता अन्तिम बार रहा या उसकी सम्पत्ति थी, से समन्वय स्थापित करके लम्बे समय से चल रहे बकाया की वसूली के सघन प्रयास करें। विभाग को न्यायालय में लम्बित मामलों में कार्यवाही कर स्थगन आदेशों को शीघ्र हटवाने की कार्यवाही भी करनी चाहिए।

6.5 अन्य राज्यों को निर्यातित बीयर की कम सुपुर्दगी पर आबकारी शुल्क का अनारोपण

राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 41 के अनुसार ब्रेवरी से बीयर की कोई भी मात्रा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 28 के अन्तर्गत देय आबकारी शुल्क जमा कराये बिना अथवा अधिनियम की धारा 18 के अनुसार राज्य के बाहर निर्यात की जाने वाली बीयर के मामलों में ब्रेवर द्वारा प्रपत्र आर.बी. 11 या आर.बी. 12 में बॉण्ड का निष्पादन किये बिना ब्रेवरी से नहीं भेजी जावेगी। बॉण्ड की शर्त संख्या (2) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि बॉण्ड में दर्शित बीयर की मात्रा निर्धारित स्थल तक नहीं पहुँच पाती है तो, ब्रेवर ऐसे किसी शुल्क की क्षति, जो सरकार को ऐसी गैर-सुपुर्दगी अथवा कम सुपुर्दगी के कारण सहनी पड़े, के लिये प्रभावी दर से शुल्क की मांग का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। नियमों में दूसरे राज्यों को प्रेषित बीयर में रास्ता क्षति एवं आयातक राज्य में शुल्क भुगतान के सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं हैं।

जिला आबकारी अधिकारी, अलवर एवं बहरोड़ के क्षेत्राधीन पांच ब्रेवरी[9] द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान निर्यातित बीयर के आबकारी सत्यापन प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा के दौरान पाया गया (सितम्बर 2014 और फरवरी 2015 के मध्य) कि बॉण्ड के अन्तर्गत राज्य के बाहर बीयर के निर्यात की प्रक्रिया के दौरान 95,186.96 बल्क लीटर (12,204 कार्टन) बीयर की सुपुर्दगी गन्तव्य स्थान पर कम की गयी। बीयर की इस मात्रा के आबकारी शुल्क का भुगतान न तो ब्रेवर द्वारा किया गया और न ही विभाग द्वारा मांग की गयी। परिणामस्वरूप राशि ₹ 42.02 लाख के आबकारी शुल्क की अवसूली रही।

ध्यान में लाये जाने के बाद (नवम्बर और फरवरी 2015), विभाग ने बताया (मार्च 2015) कि ब्रेवर द्वारा निष्पादित बोण्ड की शर्तो के अनुसार आबकारी शुल्क देय नहीं था।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि बॉण्ड की शर्तो के अनुसार गन्तव्य स्थान पर कम पहुँची बीयर की मात्रा पर आबकारी शुल्क ब्रेवर द्वारा देय होगा। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

6.6 होटल बार अनुज्ञाशुल्क की कम वसूली

राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र) नियम, 1973 के नियम 3 के अनुसार होटल बार अनुज्ञापत्र के लिए होटलों को मुख्यत: तीन श्रेणियों 'लग्जरी', 'हेरिटेज' तथा 'अन्य' में विभाजित किया गया है। लग्जरी होटलों को पुन: 'पांच सितारा', 'चार सितारा' तथा 'तीन सितारा' में श्रेणीबद्ध

[9] मैसर्स माउण्ट शिवालिक इण्डिया प्रा. लि., बहरोड, मैसर्स दीवान मॉडर्न ब्रेवरीज लि., बहरोड, मैसर्स यूनाईटेड ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी, मैसर्स एरियन ब्रेवरीज लि., भिवाड़ी और मैसर्स कार्ल्सबर्ग इण्डिया प्रा. लि., अलवर।

किया गया है। होटल बार अनुज्ञापत्रों के लिए अनुज्ञाशुल्क की अलग-अलग दरें वर्ष या उसके भाग के लिए निर्धारित की गयी हैं।

जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर एवं अजमेर के होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्रों से सम्बन्धित पत्रावलियों की वर्ष 2012-13 और 2013-14 की जांच में पाया (अगस्त 2014 और नवम्बर 2014 के मध्य) कि जिला आबकारी अधिकारी जयपुर शहर के क्षेत्राधीन दो होटल[10] अपने स्वयं की वेबसाईट पर 'पांच सितारा' श्रेणी में विज्ञापित थे। अन्य दो होटल[11] जो कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के क्षेत्राधीन थे को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की वेबसाईट पर 'चार सितारा' एवं 'तीन सितारा' में वर्गीकृत किया गया था। जबकि विभाग द्वारा इन होटलों से 'सितारा' श्रेणी के होटल के स्थान पर 'अन्य' श्रेणी के होटल का अनुज्ञाशुल्क लेकर अनुज्ञापत्र जारी/नवीनीकरण किया गया था। परिणामस्वरूप अनुज्ञापत्र शुल्क ₹ 36.50 लाख की कम वसूली रही जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला आबकारी अधिकारी का नाम	होटल बार अनुज्ञाधारी का नाम	होटल की श्रेणी	अवधि	देय अनुज्ञाशुल्क	वसूल किया गया अनुज्ञाशुल्क	कम वसूली
1.	अजमेर	कन्ट्री इन एण्ड सुईटस	चार सितारा	2012-13	10.50	3.50	7.00
				2013-14	10.50	3.50	7.00
2.	अजमेर	अनन्ता स्पॉ एण्ड रिसोर्टस	तीन सितारा	2012-13	8.50	7.00	1.50
				2013-14	8.50	7.00	1.50
3.	जयपुर शहर	शिव विलास रिसोर्ट, कूकस	पांच सितारा	2013-14	15.50	3.50	12.00
4.	जयपुर शहर	रॉयल ऑर्किड्, दुर्गापुरा	पांच सितारा	2013-14	15.50	8.00	7.50
योग					**69.00**	**32.50**	**36.50**

ध्यान में लाये जाने पर (सितम्बर 2014 और फरवरी 2015 के मध्य) सरकार ने बताया (मार्च 2015) कि जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के क्षेत्राधीन दो होटल से ₹ 17 लाख वसूल किये जा चुके है। जिला आबकारी अधिकारी जयपुर सिटी के क्षेत्राधीन एक होटल (शिव विलास रिसोर्ट प्रा.लि.) को वसूली हेतु नोटिस जारी किया जा चुका है एवं अन्य होटल (होटल रॉयल ऑर्किड) का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बकाया वसूली की प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।

[10] शिव विलास रिसोर्ट प्रा.लि., जयपुर एण्ड होटल रॉयल ऑर्किड, दुर्गापुरा-जयपुर।
[11] होटल अनन्ता स्पॉ एण्ड रिसोर्टस, अजमेर एण्ड कन्ट्री इन एण्ड सुईटस, अजमेर।

6.7 देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञाशुल्क का अनारोपण

राजस्थान आबकारी नियम 1956, के नियम 68 के नीचे दर्शित तालिका में अप्रेल 2011 की अधिसूचना से प्रतिस्थापित क्रम संख्या 12(ए) के अनुसार निर्माण स्थल पर अवस्थित बोण्डेड वेयर हाउस से देशी मदिरा के थोक विक्रय हेतु थोक अनुज्ञाशुल्क ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नियम 68 के नीचे दर्शित तालिका के क्रम संख्या 13 में मदिरा निर्माणकर्ता द्वारा मदिरा के थोक विक्रय के लिए वार्षिक अनुज्ञाशुल्क ₹ 5 लाख प्रतिवर्ष आरोपण को प्राधिकृत किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी, बहरोड़ के क्षेत्राधीन डिस्टलरी[12] के अनुज्ञापत्र पत्रावली की मापक जांच में पाया गया कि डिस्टलरी द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा दोनो का निर्माण एवं थोक विक्रय निर्माण स्थल से किया गया था। यह राजस्थान डिस्टलरी नियम, 1976 के नियम 4 में दिये गये प्रावधान के उल्लघंन में था जिसमें कहा गया था कि जिस डिस्टलरी को भारत निर्मित विदेशी मदिरा के निर्माण का अनुज्ञापत्र प्राप्त है उसे उस परिसर में कोई अन्य प्रकार का पेय अथवा अपेय पदार्थ बनाने की अनुमति नहीं होगी। विभाग द्वारा नियम 68(13) के अनुसार वर्ष 2011-12 से 2013-14 के लिए अनुज्ञाशुल्क ₹ 15 लाख विदेशी मदिरा और बीयर के थोक विक्रय के लिये वसूल किये। जबकि, इसी अवधि हेतु ₹ 15 लाख का अनुज्ञाशुल्क नियम 68(12)(ए) के अन्तर्गत देशी मदिरा के थोक विक्रय पर वसूल नहीं किये गये। परिणामस्वरूप ₹ 15 लाख के आरोपण का अभाव पाया गया।

मामला विभाग के ध्यान में लाया गया और सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2015)। सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अप्रेल 2015) कि नियम 68(12)(ए) के अनुसार देशी मदिरा के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क देय नहीं है क्योंकि अनुज्ञाधारी एक भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर और देशी मदिरा का निर्माणकर्ता तथा थोक विक्रेता है और उसी अनुरूप नियम 68(13) के अनुसार मदिरा के थोक विक्रय के अनुज्ञाशुल्क की वसूली की जा चुकी है।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि नियम 68 के नीचे दर्शित तालिका का क्रम संख्या 12(ए) देशी मदिरा के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क वसूली हेतु प्राधिकृत करता है जबकि नियम 68(13) पहले से ही विद्यमान था। इसके अतिरिक्त इकाइयों को थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर और देशी मदिरा हेतु पृथक-पृथक जारी किये जाते है और अनुज्ञापत्र की शर्तानुसार भण्डागार में अन्य कोई भी पेय भण्डारण के लिए अनुमत्य नहीं होगा केवल उस को छोड़कर जिस हेतु अनुज्ञापत्र जारी हुआ है। इसलिए नियम 68(12)(ए) के अनुसार इकाई से देशी मदिरा के थोक विक्रय पर अनुज्ञाशुल्क वसूलनीय है।

[12] मैसर्स ग्लोबस स्प्रिट लि., बहरोड़।

6.8 विदेशी मदिरा के थोक और खुदरा विक्रेताओं से अनुज्ञाशुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 47(4) के अनुसार व्यापारियों और डीलरों को विदेशी मदिरा जिसका निर्माण एवं बोटलिंग विदेशों में हुई हो, के थोक विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र, आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसे निबन्धन एवं शर्तों पर जारी किये जाते है जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। तदनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा दो थोक विक्रेताओं, मैसर्स राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ और मैसर्स कैन्टीन स्टोरस डिपार्टमेन्ट को विदेशों में बोतलबन्द विदेशी मदिरा जिनका प्रचलित नाम बी.आई.ओ. है, के आयात हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, होटल बार/क्लब बार अनुज्ञापत्र प्रदान नियम, 1973 के नियम 5-ए में होटल बार/क्लब बार अनुज्ञाधारी को राजस्थान में भारत के बाहर से विदेशी मदिरा के आयात हेतु आयात अनुज्ञापत्र के अन्तर्गत तथा आबकारी आयुक्त की पूर्व अनुमति के साथ अनुमति दी जा सकती है।

राजस्थान आबकारी नियमावली, 1956 के नियम 68(13-सी) (जैसा कि 1 अप्रेल 2012 को अधिसूचित किया गया) के अनुसार, बी.आई.ओ. ब्राण्ड्स के निर्माताओं या अधिकृत डीलरों द्वारा विदेशी मदिरा के स्वयं के थोक विक्रय या अन्य थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेताओं को करने पर अनुज्ञाशुल्क 10 ब्राण्डस तक ₹ 6 लाख तथा 10 ब्राण्ड्स से ऊपर प्रति ब्राण्ड ₹ 10,000 प्रति वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए देय होगा।

सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं जो कि होटल बार/क्लब बार अनुज्ञाधारी है को विदेशों में बोतलबन्द विदेशी मदिरा के आयात हेतु जारी किये गये परमिटों की जाँच में पाया गया (जून 2014 और जनवरी 2015 के मध्य में) कि दो थोक विक्रेताओं द्वारा विभिन्न डिपो पर 65 बी.आई.ओ. ब्राण्डस और 106 खुदरा विक्रेताओं द्वारा 2,841 बी.आई.ओ. ब्राण्डस वर्ष 2013-14 के दौरान आयात किये गये थे। जबकि इन थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा आयातित विदेशी मदिरा पर अनुज्ञाशुल्क को ना तो जमा करा गया और न ही विभाग द्वारा मांगा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.65 करोड़ अनुज्ञाशुल्क की अवसूली रही।

अवगत कराये जाने के बाद (जून 2014 और मार्च 2015 के मध्य), विभाग ने बताया (अगस्त 2015) कि राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से बी.आई.ओ. के आयात पर राशि ₹ 22.30 लाख की वसूली कर ली गई है। बाकी वसूली के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही प्रतीक्षित है (नवम्बर 2015)।